न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 70/2020

1 जीताराम पुत्र मुरलीधर आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी जुगलपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शक्तिसिंह पुत्र देवीसिंह आयु 40 वर्ष जाति राजपूत।
2 मूलचन्द पुत्र शंकर आयु 30 वर्ष जाति बलाई।
3 सागरमल पुत्र डूंगाराम आयु 60 वर्ष जाति माली।
4 बल्लुराम पुत्र डूंगाराम आयु 50 वर्ष जाति माली।
5 जयराम पुत्र परसाराम आयु 30 वर्ष जाति माली।
6 कृष्ण पुत्र नन्दसिंह आयु 40 वर्ष जाति माली निवासीगण जुगलपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
7 कैलाश पुत्र मूलचन्द आयु 36 वर्ष जाति मीणा निवासी जुगलपुरा हाल सरपंच ग्राम पंचायत जुगलपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
8 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय खण्डेला
जिला सीकर दिनांकित 19.08.2020 मुकदमा नम्बर 28/2020
उनवानी जीताराम बनाम शक्तिसिंह आदि

उपस्थिति :

1. श्री गंगाधर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश जाखड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

## –निर्णय–

दिनांकः– 16.04.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा संख्या 28/2020 में पारित निर्णय दिनांक 19.08.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.2200 हैक्टेयर तन ग्राम जुगलपुरा तहसील खण्डेला में अवस्थित है एवं भूमि खसरा नम्बर 1639 रकबा 2.8000 हैक्टेयर तन ग्राम जुगलपुरा तहसील खण्डेला में अवस्थित है। भूमि खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.2200 हैक्टेयर दर्ज भूमि में से 1.100 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ पर अपीलांट वक्त बूजुर्गान से काबिज काश्त चली आ रही है। जो पहल सिवाय चक भूमि दर्ज थी। बाद में चारागाह दर्ज हो गई। जबकि उक्त भूमि सदैव से प्रार्थी अपीलांट व उसके पूर्व अपीलांट के पिता मुरलीधर के कब्जे, काश्त में रही है। वर्तमान में अपीलांट उक्त भूमि में खरीफ की फसल बो रखी है जिसमें बाजरा, गंवार, मिर्ची, मोठ भिण्डी, लहसून की फसल अपीलांट ने ही काश्त की है तथा पक्के मकानात बनाकर आबाद है। अपीलांट की मवेशी आदि है। उपरोक्त भूमि को अपीलांट ने दो लाख रूपये खर्चो करके तथा काफी मेहनत करके उपजाऊ व उन्नत किस्म तथा कृषि योग्य बनाई है परन्तु खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ अपीलांट को नहीं मिल रहा है तथा सरकार को भी लगान वसूली का घाटा हो रहा है। अपीलांट व अपीलांट के वारिसान की आजीविका का साधन उपरोक्त भूमियां ही है। जिसमें काश्त करके अपने परिवार का पालन पोषण करते है। उक्त आशय का आवेदन अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2020 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर रेस्पोडेंट्स को विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1706,1639 तन ग्राम जुगलपुरा के मौके की वर्तमान यथास्थिति रखने का आदेश पारित किया गया। इसके पश्चात अप्रार्थीगण की ओर उपस्थित होकर अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर अप्रार्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 7 व 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 की तामील करवाये बिना तथा उनकी ओर से किसी प्रकार का जवाब लिये बिना तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 6 के सम्बंध में किसी प्रकार का आदेश पारित किये बिना प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के बाबत आदेश पारित कर प्रार्थी/अपीलांट का टी.आई. आवेदन दिनांक 19.08.2020 को खारिज कर दिया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमि खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.2200 हैक्टेयर तन ग्राम जुगलपुरा तहसील खण्डेला में अवस्थित है एवं भूमि खसरा नम्बर 1639 रकबा 2.8000 हैक्टेयर तन ग्राम जुगलपुरा तहसील खण्डेला में अवस्थित है। भूमि खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.2200 हैक्टेयर दर्ज भूमि में से 1.100 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ पर अपीलांट वक्त बूजुर्गान से काबिज काश्त चली आ रही है। जो पहल सिवाय चक भूमि दर्ज थी। बाद में चारागाह दर्ज हो गई। जबकि उक्त भूमि सदैव से प्रार्थी अपीलांट व उसके पूर्व अपीलांट के पिता मुरलीधर के कब्जे, काश्त में रही है। वर्तमान में अपीलांट उक्त भूमि में खरीफ की फसल बो रखी है जिसमें बाजरा, गंवार, मिर्ची, मोठ भिण्डी, लहसून की फसल अपीलांट ने ही काश्त की है तथा पक्के मकानात बनाकर आबाद है। अपीलांट की मवेशी आदि है। उपरोक्त भूमि को अपीलांट ने दो लाख रूपये खर्चो करके तथा काफी मेहनत करके उपजाऊ व उन्नत किस्म तथा कृषि योग्य बनाई है परन्तु खातेदारी अपीलांट के नाम दर्ज नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ अपीलांट को नहीं मिल रहा है तथा सरकार को भी लगान वसूली का घाटा हो रहा है। अपीलांट व अपीलांट के वारिसान की आजीविका का साधन उपरोक्त भूमियां ही है। जिसमें काश्त करके अपने परिवार का पालन पोषण करते है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है एवं अपीलांट को जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1706 व 1639 किस्म चारागाह व सिवायचक होकर राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियां रिकार्ड ऑफ राईट नही है। विवादित भूमि चारागाह एवं सिवायचक है धारा 16 में ऐसी भूमियां प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1706 व 1639 किस्म चारागाह व सिवायचक होकर राज्य सरकार की खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरियां रिकार्ड ऑफ राईट नही है। विवादित भूमि चारागाह एवं सिवायचक है धारा 16 में ऐसी भूमियां प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में आती है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर